कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

व्हिसल ब्लोअर नीति
(सतर्कता तंत्र नीति)

1. नीति के उद्देश्य:

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) अपने व्यवसाय के संचालन में पारदर्शी तरीके से उच्चतम नैतिक, नैतिक और कानूनी मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नीति का उद्देश्य अपने कर्मचारियों को किसी भी ऐसी गतिविधि के खिलाफ "एक सीटी बजाने" (संरक्षित प्रकटीकरण) का अवसर प्रदान करना है जो अनैतिक है या कंपनी की स्थापित प्रथाओं के विपरीत है, जिसमें उत्पीड़न, उत्पीड़न या प्रतिशोध से प्रतिरक्षा है।

2. आवेदन:

यह नीति केआरसीएल के ऐसे कर्मचारी(कर्मचारियों) पर लागू होगी जो खुलासा करते हैं, जिन्हें आगे चलकर 'व्हिसल ब्लोअर' कहा जाएगा।

3. परिभाषाएँ: जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो

(i) "बोर्ड" का अर्थ है कंपनी का निदेशक मंडल।
(ii) "शिकायत" का अर्थ है इस नीति के तहत किसी कर्मचारी द्वारा उठाई गई शिकायत या चिंता।
(iii) "कंपनी" का अर्थ है केआरसीएल।

(iv) "अनुशासनात्मक कार्रवाई" का अर्थ है केआरसीएल सेवा (आचरण) नियम और अनुशासन और अपील नियम 2001 के तहत कोई कार्रवाई या केआरसीएल आचरण, अनुशासन और अपील नियमों के तहत कवर नहीं किए गए किसी कर्मचारी के संबंध में उचित समझी जाने वाली कार्रवाई।

(v) "कर्मचारी" का अर्थ है केआरसीएल का कोई कर्मचारी।

(vi) "अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक" का अर्थ है कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। नोट: अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शब्द में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत नियुक्त अधिकारी शामिल होगा।

(vii) "संरक्षित प्रकटीकरण" का अर्थ है इस नीति के तहत की गई शिकायत या उठाई गई चिंता का प्रकटीकरण।

(viii) "व्हिसल ब्लोअर" का अर्थ है वह कर्मचारी जिसने इस नीति के तहत संरक्षित प्रकटीकरण किया है।

4. संरक्षण:

(i) मुखबिर की पहचान तब तक गोपनीय रखी जाएगी जब तक कि उसने स्वयं प्रकटीकरण का विवरण सार्वजनिक न कर दिया हो या किसी अन्य कार्यालय या प्राधिकरण को अपनी पहचान न बता दी हो।

(ii) उक्त जांच में सहायता करने वाले या साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले किसी अन्य कर्मचारी को भी 'मुखबिर' के समान ही संरक्षण दिया जाएगा।

(iii) इस नीति के अंतर्गत संरक्षित प्रकटीकरण की सूचना देने के कारण मुखबिर के साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा। मुखबिर को प्रतिशोध, सेवा समाप्ति/निलंबन की धमकी या डराने-धमकाने, अनुशासनात्मक कार्रवाई, स्थानांतरण, पदावनति, पदोन्नति से इनकार, भेदभाव, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, पक्षपातपूर्ण व्यवहार या इसी तरह के किसी भी अनुचित व्यवहार के विरुद्ध पूर्ण संरक्षण दिया जाएगा, जिसमें मुखबिर के अपने कर्तव्यों/कार्यों को जारी रखने के अधिकार को बाधित करने के लिए अधिकार का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग शामिल है, जिसमें आगे संरक्षित प्रकटीकरण करना भी शामिल है।

5. प्रक्रिया:

(i) कोई भी कर्मचारी अनैतिक, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी के आचरण या नैतिकता नीति पर कंपनी के सामान्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन के बारे में खुलासा या शिकायत कर सकता है।

(ii) हालांकि व्हिसल ब्लोअर से आरोप की सत्यता का अकाट्य प्रमाण देने की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने पास उपलब्ध उतनी जानकारी प्रदान करे, जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि शिकायत या चिंता के लिए अच्छे और पर्याप्त कारण/आधार हैं।

(iii) खुलासा सावधानीपूर्वक शब्दों में किया जाना चाहिए, ताकि उसकी पहचान के बारे में कोई विवरण या सुराग न मिले। हालाँकि, खुलासे का विवरण विशिष्ट और सत्यापन योग्य होना चाहिए।

(iv) खुलासा सीलबंद लिफाफे में किया जाएगा और निम्नलिखित तरीके से संबोधित किया जाएगा

व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत संरक्षित प्रकटीकरण केवल अभिभाषक द्वारा ही खोला जाएगा।

श्री संतोष कुमार झा,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
बेलापुर भवन, सेक्टर 11,
सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई,
महाराष्ट्र राज्य|

असाधारण परिस्थितियों में संरक्षित प्रकटीकरण लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को निम्नलिखित पते पर किया जाना चाहिए:

श्री आर के हेगड़े,
निदेशक (रेलपथ एवं कार्य),
कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
बेलापुर भवन, सेक्टर 11,
सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई
महाराष्ट्र राज्य।

(v) संरक्षित प्रकटीकरण पंजीकृत कार्यालय, बेलापुर भवन, सेक्टर-11, सीबीडी, बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614 में प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग में प्राप्त किया जाएगा। प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग के प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि वे इसके लिए एक अलग रजिस्टर बनाए रखें और रजिस्टर में उचित रसीद के आधार पर तुरंत सभी संरक्षित प्रकटीकरणों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सौंप दें।

(vi) व्हिसल ब्लोअर को अपना नाम, पता आदि या तो प्रकटीकरण के शीर्ष पर या नीचे या संलग्न शीट पर देना चाहिए। सार्वजनिक प्रकटीकरण के प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे की ओर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

(vii) व्हिसल ब्लोअर की पहचान की सुरक्षा के लिए कोई रसीद जारी नहीं की जाएगी। शिकायतकर्ता/व्हिसल ब्लोअर को अपने हित में इस संबंध में आगे कोई पत्राचार न करने की सलाह दी जाती है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस नीति के तहत प्राप्त सभी शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। यदि किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो व्हिसल ब्लोअर से संपर्क किया जाएगा।

6. जाँच:

इस प्रकार प्राप्त सभी खुलासों की जांच अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसी भी व्यक्ति, या कंपनी के किसी विशेषज्ञ या मुख्य सतर्कता अधिकारी को जांच सौंप सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्हिसल ब्लोअर की पहचान और विषय वस्तु का खुलासा न किया जाए। निष्कर्षों की लिखित रिपोर्ट आम तौर पर एक महीने के भीतर बनाई जाएगी।

7. जांच का परिणाम:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा प्रकटीकरण के संबंध में की गई जांच/जांच के आधार पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक एवं उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रकटीकरण के विषय-वस्तु या संबद्ध मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निवारक उपाय तथा आवश्यक समझी जाने वाली अन्य कार्रवाई भी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

8. बोर्ड को रिपोर्ट करना:

इस नीति के अंतर्गत प्राप्त खुलासों की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी (केआरसीएल) के निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाएगी।

9. प्रतिबंध:

(i) इस नीति के तहत गुमनाम या छद्म नाम वाली शिकायतों की जांच नहीं की जाएगी।
(ii) शिकायत तुच्छ या अनुमान या सुनी-सुनाई बातों पर आधारित नहीं होनी चाहिए।
(iii) दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।
(iv) शिकायत व्यक्तिगत सेवा शिकायतों से संबंधित नहीं होनी चाहिए।
(v) कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों या हितधारकों के खिलाफ अपमानजनक या मानहानिकारक भाषा का उपयोग करके की गई शिकायतें।

नोट: उपरोक्त का कोई भी उल्लंघन केआरसीएल सेवा (आचरण) नियम और अनुशासन एवं अपील नियम 2001 के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करेगा या केआरसीएल सेवा (आचरण) नियम और अनुशासन एवं अपील नियम 2001 द्वारा शासित नहीं होने वाले कर्मचारी के संबंध में उचित समझी जाने वाली कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

10.पहचान के प्रकटीकरण के लिए दंड:

संरक्षित प्रकटीकरण में निहित जानकारी या व्हिसल ब्लोअर की पहचान के प्रकटीकरण के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर के.आर.सी.एल. सेवा (आचरण) नियम और अनुशासन एवं अपील नियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी या के.आर.सी.एल. सेवा (आचरण) नियम और अनुशासन एवं अपील नियम 2001 द्वारा शासित न होने वाले किसी कर्मचारी के संबंध में उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जाएगी।